**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 407**
**दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**संगठित ड्रग सिंडिकेट**

**†407. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार को हाल ही में आई सूचनाओं के अनुसार नासिक जैसे शहरों में, सक्रिय संगठित ड्रग सिंडिकेट के खतरनाक प्रसार की जानकारी है, जिसमें महिलाओं और अंतर्राज्यीय रैकेटों की सक्रिय भागीदारी है;**
**(ख) यदि हां, तो क्या इन सिंडिकेटों को समाप्त करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया या अंतर-राज्यीय समन्वय या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के कार्यबल तैनात किए गए हैं;**
**(ग) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) के उपबंधों के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितनी गिरफ्तारियां, जब्ती और दोषसिद्धि की गई है; और**
**(घ) क्या सरकार का इस बढ़ते हुए खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित युवाओं और परिवारों के लिए कोई नई नीति बनाने, जन जागरूकता अभियान चलाने या पुनर्वास सहायता प्रदान करने का विचार है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): सरकार ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के मादक पदार्थ नियंत्रण प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पारस्परिक समन्वय से देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समन्वित कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ नीचे उल्लेखित हैं:-

(i) एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(iii) मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती की जांच की निगरानी करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iv) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं पर और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) एक बड़ी सफलता के रूप में, दिनांक 03.08.2024 को एटीएस गुजरात पुलिस ने भिवंडी (महाराष्ट्र) में छापा मारा और 10.969 किलोग्राम ठोस मेफेड्रोन और 781.463 किलोग्राम तरल मेफेड्रोन जब्त किया। जब्ती के मामले में 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सहयोग करता है, ताकि संयुक्त मादक पदार्थ-रोधी अभियान चलाए जा सकें।

(vii) बंदरगाहों पर मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए कंसाइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है।

(viii) राज्य प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और प्रभावी परिचालन दक्षता के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का 01 क्षेत्रीय कार्यालय, 01 जोनल कार्यालय और 01 फील्ड कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत हैं।

(ix) एनकोर्ड पोर्टल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS), गिरफ्तार नार्को-अपराधियों का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN), नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) आदि जैसे कई डिजिटल पहलें मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन, खुफिया जानकारी साझा करने, जांच और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संचालित की जा रही हैं।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2023 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत वर्ष 2022 और 2023 के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर), जब्त किए गए मादक पदार्थों और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) का विवरण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर) | जब्ती | दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16777 | 20185.509 किग्रा.<br>22672 (संख्या)<br>5240.308 लीटर | 5509 |
| 2023 | 16646 | 22044.77 किग्रा.<br>32376 (संख्या)<br>6936.53 लीटर | 6184 |

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

(घ): सरकार ने मादक पदार्थ के बढ़ते खतरे से प्रभावित नागरिकों को बचाने के लिए सार्वजनिक जागरूकता फैलाने तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

(i) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(ii) मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए एनसीबी ने मिशन स्पंदन शुरू किया है। आध्यात्मिक रूप से जागरूकता फैलाने और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इसकी लत से छुटकारा पाने के लिए 05 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है।

(iv) सरकार देश भर में 349 एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 45 समुदाय आधारित पीयरलेड इंटर्वेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों, 76 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 154 व्यसन उपचार सुविधा केंद्रों (एटीएफ) और 139 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(v) नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित किया जा रहा है, ताकि मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

(vi) एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने, दिनांक 03.09.2025 को, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है।

******